संख्या– 26/VI-I/2004–15 युवा/2002

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक 12 मई 2004,

विषयः– युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय में अतिरिक्त निर्माण कार्यो हेतु धनांवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1113/एक–444/2001 दिनांक 24 मार्च, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय युवा कल्याण विभाग के मुख्यालय में दो प्रवेश कक्ष, एक स्टोर कक्ष, टू–व्हीलर स्टेण्ड, 2 प्रसाधन कक्ष के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त रू0 6.59 लाख (रूपये छः लाख उन्सठ हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि को आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि इसके उपरांत योजना में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

3– यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहियें । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– कार्य कराने से पूमर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एम मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि के हउपरान्त लागत में कोई भी पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। व्यय करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का पालन किया जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीध्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

8– उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–प्रदेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–00–24–वृहत निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत डाला जायेगा।

9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–21/वि0अनु0–2/2004 दिनांक 11 मई, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृ0सं0संख्या– यु0क0/2004–15 युवा /2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल शासन।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4–श्री एल,एम, पन्त अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–2।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव